कार्यालय जिला पंचायत
बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

दूरभाष–7727222076 फैक्स–07727222076 ई–मेल–dmmu.balodabazar@gmail.com

क्रमांक/8511/ जि.पं./NRLM/भर्ती/2025–26 बलौदाबाजार दिनांक 27.03.26

–: संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन :–

विकास आयुक्त कार्यालय, एस.आर.एल.एम प्रकोष्ठ, विकास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक ESTB/1107/2025–Section CGSRLM नवा रायपुर दिनांक 23.02.2026 में दिए गए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' के अंतर्गत कार्यालय जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा विकासखंड मिशन कार्यालयों में निम्नानुसार स्वीकृत/रिक्त पद एकमुश्त मासिक वेतन आधार पर भरे जाने हेतु पदवार निर्धारित आरक्षण एवं अर्हता के अनुसार योग्यता रखने वाले पात्र आवेदकों से दिनांक 15.04.2026 को सायं 05:00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने हेतु वेबसाईट www.balodabazar.gov.in जिले के वेबसाइट में दिए गये ''स्वीकृत/रिक्त पदों पर भर्ती'' से संबंधित सभी जानकारी/नियम–शर्तें, पदवार निर्धारित योग्यता/अर्हता, पदवार आरक्षण आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन कर सकते है। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई–मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे, निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

स्वीकृत/रिक्त पदों पर भर्ती जिला के द्वारा की जायेगी, प्रत्येक पद के लिये अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य है।

पदों का विवरण :–

जिला बलौदाबाजार–भाटापारा

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
			मुक्त	महिला	विक.	भू.सै.	योग	मुक्त	महिला	विक.	भू.सै.	योग	मुक्त	महिला	विक.	भू.सै.	योग	मुक्त	महिला	विक.	भू.सै.	योग	मुक्त	महिला	विक.	भू.सै.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	विकासखंड परियोजना प्रबंधक (जनपद पंचायत)	4	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	4	–	–	–	4
2	क्षेत्रीय समन्वयक (जनपद पंचायत)	2	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
योगः–		6	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	6	0	0	0	6

कार्यालय जिला पंचायत
बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

National Rural Livelihood M

दूरभाष–7727222076 फैक्स–07727222076 ई–मेल–dmmu.balodabazar@gmail.com

संविदा से भरे जाने वाले पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं मेरिट अंक :–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
					विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	
1	विकासखंड परियोजना प्रबंधक	4	39,875	**शिक्षा** –मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नाकोत्तर उपाधि/द्विवर्षीय डिप्लोमा। **अनुभव**–स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखंड/क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 02 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नाकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देतेहुए	35
					स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देतेहुए	20
					बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	15
					न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
					छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	5
					लिखित परीक्षा	5
					साक्षात्कार	10
2	क्षेत्रीय समन्वयक	2	26,490	**शिक्षा** –1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। **अनुभव** – स्नातक उपाधि उपरांत विकासखंड/क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 01 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देतेहुए	35
					बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
					दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देतेहुए	20
					न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एव अधिकतम 10 अंक	10
					छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	5
					लिखित/कौशल परीक्षा	10

नोट :– सभी पदो के लिये छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

आवेदन करने हेतु नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 के निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।

2. संविदा नियुक्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. संविदा अवधि में छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
4. संविदा नियुक्ति के पद पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्वसूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. सेवा समाप्ति के पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
6. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.01.2026 की तिथि में न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। छ.ग. शासन सामान्य प्रसाशन विभाग द्वारा जारी समय–समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे।
8. आयु की गणना दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में किया जाएगा।
9. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
10. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी जाति/निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य किया जायेगा।
11. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण–पत्रों एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण–पत्र सत्यापित नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. आवेदन पत्र का प्रारूप के अनुसार ए–4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ–साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का स्वंय का सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना एवं स्वयं का पता लिखा दो लिफाफा (5रू. डाकटिकट के साथ) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन एवं कार्यालय में सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
13. लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में **आवेदित पदनाम एवं वर्ग साथ ही जिस जिले के लिए आवेदन किया जा रहा है**, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। लिफाफे में आवेदक का पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
14. शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्वशासी संस्थानों एवं गैर–शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जावेगा।
15. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9–1/2012/1–3 दिनांक 31.12.2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगे।
16. संविदा पद पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

दूरभाष–7727222076 फैक्स–07727222076 ई–मेल–dmmu.balodabazar@gmail.com

17. कुल प्राप्त आवेदनों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र की सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु जिला की वेबसाईट में अपलोड कर जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड में चस्पा की जायेगी।
18. दावा आपत्ति के निराकरण तैयार सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए रिक्त पद के विरूद्ध 10 गुना अभ्यर्थियों को (01:10 मान से) साक्षत्कार एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (जहां भी लागू हो) के लिए बुलावा पत्र रजिस्टर डाक अथवा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। तद्उपरांत प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार (जहां भी लागू हो) में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी। सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दिया जावेगा एवं 03 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। भविष्य में पद रिक्त होने पर उसे प्रतिक्षा सूची से भरा जावेगा, जो कि अंतिम चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।
19. अनुभव प्रमाण–पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) **विकासखंड परियोजना प्रबंधक** पद हेतु केवल स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखंड/क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 02 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव ही मान्य होगा तथा **क्षेत्रीय समन्वयक** पद हेतु स्नातक उपाधि उपरांत विकासखंड/क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय/समन्वयक पद का न्यूनतम 01 वर्ष का केन्द्र/राज्य शासन/लोकल बॉडी/गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास/गरीबी उन्मूलन/आजीविका संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव ही मान्य होगा। समकक्ष पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
20. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी एवं नियुक्ति आदेश की छायाप्रति अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा, जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही शासकीय अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण–पत्र हेतु आवेदक को समस्त कार्य अवधि का प्रमाणित पे–स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
21. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
22. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
23. विज्ञापन में पदवार जिले का रोस्टर लागू होगा। नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
24. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि

कार्यालय जिला पंचायत
बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

दूरभाष–7727222076 फैक्स–07727222076 ई–मेल–dmmu.balodabazar@gmail.com

किसी आवेदक को 12वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

25. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
26. मूल प्रमाण–पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरांत योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
27. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के सूचना पटल, जिला प्रशासन बलौदाबाजार–भाटापारा के वेबसाइट www.balodabazar.gov.in से अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत दावा–आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य दिशा–निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.balodabazar.gov.in, में प्रकाशित किया जावेगा। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
28. आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2026 को सायं 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) पिन कोड – 493332 को अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।
29. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी।
30. नियुक्ति आदेश के पूर्व समस्त मूल प्रमाण पत्रों की जांच सही पाये जाने पर ही नियुक्ति आदेश प्रदान किया जावेगा।
31. संविदा नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी जो सर्वमान्य होगा।
32. नियुक्ति के पश्चात् जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
33. मिशन संचालक, SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)